कोर बॉक्स क्रय हेतु निर्धारित शर्तें

कोटेशन से कोर बॉक्स क्रय हेतु सूचना भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार में पंजीकृत एवं स्थित पंजीकृत फर्म आदि उद्यमों हेतु ही है।

1. कोटेशन द्वारा कोर बॉक्स क्रय करने हेतु सूचना विभागीय वेबसाईट http://www.mines.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
2. कोटेशन से अनुरोध सीलबन्द लिफाफे में इस कार्यालय में दिनांक 11.03.2022 को दोपहर 2.00 बजे तक व्यक्तिशः/डाक द्वारा पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त कोटेशन उसी दिन दोपहर 3.00 बजे उपस्थित प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जाएगी।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त कोटेशन को स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. उपापन समिति न्यूनतम दर वाली कोटेशन को स्वीकार किये जाने के लिये बाध्य नहीं तथा किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये रदद् कर सकेगी।
5. दरे अंको एवं शब्दों में कोटेशन प्रपत्र में दिये गये स्थान पर ही भरी जावें। कटींग/ओवरराईटिंग नहीं होनी चाहिए, यदि हो तो वह साफ एवं लघु हस्ताक्षरित हो ।
6. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित दरें समस्त करों सहित एवं कार्यालय **अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, खनिज भवन, कोटा** में आपूर्ति हेतु FOR डेस्टिनेशन तथा बीमा सहित प्रस्तुत करनी होगी।
7. अपरिहार्य कारणों से यदि कोटेशन प्राप्त किये जाने/खोले जाने की दिनांक को अवकाश रहता है तो कोटेशन प्राप्त किये जाने/खोले जाने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस को होगी।
8. उपापन का निर्धारित प्रतिशत RTPP Act 2012 and RTTP Rules 2013के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के स्वामित्वाधीन स्थानीय उद्यामों से उपापन के लिये निश्चित किया जाएगा।
9. विभाग में सप्लाई/कार्य हेतु बोलीदाता के कर्मचारियों की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। सप्लाई/कार्य के दौरान किसी भी नुकसान, क्षति, दुर्घटना के लिए समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। विभाग द्वारा इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
10. कोटेशन प्रस्तुत करने वाली फर्म को पेन नम्बर व जीएसटी नम्बर उल्लेखित करना अनिवार्य है ।

(राजकुमार शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान)
खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटा